

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बालाघाट (म.प्र.)

—: विविध आदेश :-

क्रमांक— 21 / एक-11-1 / 2009

बालाघाट, दिनांक 05 फरवरी, 2026

मध्यप्रदेश सिविल कोर्ट एक्ट की धारा 15 एवं 21(4) तथा दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधान के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं प्राणेश कुमार प्राण, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बालाघाट इस जिले में संस्थापित सिविल एवं दंड न्यायालयों के पीठासीन अधिकारियों के मध्य व्यवहार एवं आपराधिक कार्य के लिये क्षेत्राधिकार के संबंध में निम्नलिखित आदेश पारित करता हूँ। कार्य विभाजन का यह आदेश तत्काल से प्रभावशील होगा। इसके पूर्व इस संबंध में दिये गये समस्त आदेश निष्प्रभावी हो जावेंगे। लंबित प्रकरण इस कार्य विभाजन से प्रभावित नहीं होंगे :-

कं.	न्यायालय का नाम	क्षेत्राधिकार व प्रकरणों का प्रकार
1	2	3
1	प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश व सदस्य मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, बालाघाट (म.प्र.)	<ol style="list-style-type: none">1. तहसील बालाघाट एवं लांजी के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न नियमित एवं अकिंचन व्यवहार वाद, जिनका मूल्यांकन रुपये 1,00,00,000 /—(रु. एक करोड़) से अधिक हो।2. तहसील बालाघाट एवं लांजी से उत्पन्न लघुवाद जिनका मूल्यांकन रुपये 500 /—(रु. पांच सौ) से अधिक किन्तु रुपये 1000 /— (रु. एक हजार) से अधिक न हो।3. तहसील बालाघाट एवं लांजी के क्षेत्रांतर्गत मध्यस्थम और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 36 सहपठित आदेश 21 नियम 11 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के रुपये एक करोड़ से अधिक मूल्य के प्रस्तुत होने वाले निष्पादन प्रकरण।4. बालाघाट स्थित द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड, तहसील मुख्यालय लांजी स्थित प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड बालाघाट के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश लांजी एवं द्वितीय, षष्ठम व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ बालाघाट तथा न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय बालाघाट के निर्णय, आज्ञाप्ति एवं आदेशों से उत्पन्न नियमित एवं विविध व्यवहार अपीलें।5. सिविल जिला बालाघाट से उत्पन्न धारा 20 नगरपालिका अधिनियम, 1961 के अंतर्गत चुनाव याचिकायें।6. तहसील मुख्यालय बालाघाट के अंतर्गत आने वाले आरक्षी केन्द्र हट्टा, लामता, चांगोटोला एवं तहसील मुख्यालय लांजी के अंतर्गत आने वाले आरक्षी केन्द्र लांजी एवं बहेला के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न मोटर यान अधिनियम के अंतर्गत दुर्घटना दावा।7. जिला मुख्यालय बालाघाट एवं तहसील लांजी के क्षेत्राधिकार में नगरपालिका अधिनियम, 1961 के धारा 139 के अधीन प्रस्तुत अपीलीय आदेशों के संबंध में व्यवहार न्यायाधीशों के द्वारा घोषित निर्णय के विरुद्ध धारा 139 की उपधारा 5 के अंतर्गत प्रस्तुत पुनरीक्षण एवं नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 172 के अधीन प्रस्तुत अपीलीय आदेशों के विरुद्ध व्यवहार न्यायाधीशों के द्वारा घोषित निर्णय के विरुद्ध धारा 172 की उपधारा 3 के अंतर्गत प्रस्तुत पुनरीक्षण।

क्रं.	न्यायालय का नाम	क्षेत्राधिकार व प्रकरणों का प्रकार
		<p>8. जिला मुख्यालय बालाघाट एवं लांजी के क्षेत्राधिकार में उत्पन्न प्रोवेट एवं लेटर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के अधीन प्रकरण।</p> <p>9. म.प्र. लोक न्यास अधिनियम, के अंतर्गत तहसील बालाघाट एवं लांजी से उत्पन्न प्रकरणों का निराकरण।</p> <p>10. खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 (2006 का 34) के अंतर्गत उत्पन्न होने वाली अपीलें।</p> <p>11. सिविल जिला मुख्यालय बालाघाट एवं तहसील लांजी के क्षेत्रांतर्गत म.प्र. स्थान नियंत्रण अधि., 1961 की धारा 31 के अंतर्गत प्रस्तुत अपीलें।</p> <p>12. जिला मुख्यालय बालाघाट एवं तहसील मुख्यालय लांजी के क्षेत्रांतर्गत भूमि-अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के अंतर्गत उद्भूत प्रकरण।</p> <p>13. व्यवहार जिला बालाघाट के अंतर्गत अधोसंरचना परियोजनाओं से संबंधित संविदाओं से संबंधित दावों का विचारण।</p> <p>14. तहसील लांजी एवं राजस्व तहसील किरनापुर से उत्पन्न हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 एवं हिन्दू दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम, 1956 के अंतर्गत समस्त प्रकरण।</p> <p>15. तहसील लांजी एवं राजस्व तहसील किरनापुर से उत्पन्न विशेष विवाह अधिनियम, 1954 के समस्त प्रकरण।</p> <p>16. तहसील लांजी एवं राजस्व तहसील किरनापुर से उत्पन्न संरक्षक एवं प्रतिपाल्य अधिनियम के अंतर्गत प्रकरण।</p> <p>17. सत्र खण्ड, बालाघाट के अंतर्गत सत्र न्यायाधीश के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले समस्त प्रकरण (आपराधिक अपील, आपराधिक पुनरीक्षण याचिकायें (जिनमें ग्राम न्यायालय भी शामिल हैं))।</p> <p>18. सत्र खण्ड बालाघाट (वारासिवनी एवं बैहर के क्षेत्राधिकार के थानों से उद्भूत जमानत आवेदन को छोड़कर) से उद्भूत द.प्र.सं. की धारा 438 एवं धारा 439 से संबंधित जमानत याचिकायें।</p> <p>19. मानव अधिकार संरक्षण अधि., 1993 के अंतर्गत प्रकरण।</p> <p>20. बाल अधिकार आयोग अधिनियम, 2005 (2006 का 4) के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले प्रकरण।</p> <p>21. औषधि और प्रसाधन सामग्री अधि., 1940 (1940 का 23) की धारा 13 के खण्ड(क) तथा (ख), धारा 22 की उपधारा (3), धारा 27 के खण्ड (क) तथा (ग), धारा 28, धारा 28क, धारा 28ख तथा धारा 30 की उपधारा (1) के खण्ड(ख) के अधीन दंडनीय अपराधों से संबंधित प्रकरण।</p> <p>22. निःशक्तजन अधिकार अधिनियम, 2016 के अंतर्गत प्रकरणों का निराकरण।</p> <p>23. मध्यप्रदेश निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम, 2000 (क्रमांक 16 सन् 2001) के अंतर्गत मुख्यालय बालाघाट के सभी थाना क्षेत्रों से उद्भूत होने वाले प्रकरणों, रिमांड, जमानत आवेदन आदि का निराकरण।</p> <p>24. सिविल जिला बालाघाट के अंतर्गत अन्य सभी प्रकार के मामले जो अनन्यतः प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय के सुनवाई क्षेत्राधिकार में हैं तथा जिनकी सुनवाई के लिए पृथक से किसी न्यायाधीश/न्यायालय को विशिष्ट शक्तियां वेष्टित न की गई हो अथवा विशेष न्यायाधीश/ विशेष न्यायालय अधिसूचित नहीं किया गया है।</p>

कं.	न्यायालय का नाम	क्षेत्राधिकार व प्रकरणों का प्रकार
2	विशेष न्यायाधीश (एट्रोसिटिज), बालाघाट	<ol style="list-style-type: none"> 1. बालाघाट सत्र खण्ड से उद्भूत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्या.निवा.) अधि., 1989 के समस्त प्रकरण एवं उन प्रकरणों से संबंधित धारा 438 एवं 439 द. प्र.सं. के तहत प्रस्तुत होने वाली जमानत याचिकायें। 2. स्वापक औषधी एवं मनोत्तेजक पदार्थ अधिनियम 1985 (1985 का संख्याक एक) से उद्भूत समस्त प्रकरण एवं उन प्रकरणों से संबंधित धारा 438 एवं 439 द.प्र.सं. के तहत जमानत याचिकायें। 3. राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 की अनुसूची धारा-2(1)(च) से संबंधित समस्त प्रकरण एवं उन प्रकरणों से संबंधित धारा 438 एवं 439 द.प्र.सं. के तहत जमानत याचिकायें। 4. सत्र न्यायाधीश, बालाघाट द्वारा समय-समय पर अंतरित किये गये सत्र प्रकरण, विशेष प्रकरण, अपीले, पुनरीक्षण, अन्य दांडिक प्रकरण एवं जमानत आवेदन पत्र।
3	प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, बालाघाट एवं विशेष न्यायाधीश, (लैंगिक अपराधों से बालको का संरक्षण अधिनियम 2012 (POCSO)) बालाघाट	<ol style="list-style-type: none"> 1. भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अंतर्गत प्रस्तुत प्रकरण एवं उनसे संबंधित जमानत याचिकाएं। 2. सिविल जिला बालाघाट का समस्त विद्युत क्षेत्र (वारासिवनी के विशेष न्यायालय की अधिकारिता को छोड़कर) विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 की संख्या 36) के अंतर्गत संस्थित प्रकरणों एवं जमानत याचिकायें। 3. जिला मुख्यालय बालाघाट एवं तहसील लांजी के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न लैंगिक अपराधों से बालको का संरक्षण अधिनियम 2012 (POCSO) से उद्भूत समस्त सत्र प्रकरण एवं धारा 438 एवं धारा 439 द.प्र.सं. के तहत प्रस्तुत होने वाली जमानत याचिकायें। 4. जिला मुख्यालय बालाघाट, तहसील वारासिवनी, बैहर एवं तहसील लांजी के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 के साथ अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्या.निवा.) अधि., 1989 के समस्त प्रकरण एवं उनसे संबंधित धारा 438 एवं धारा 439 द.प्र.सं. के तहत प्रस्तुत होने वाली जमानत याचिकायें। 5. सत्र न्यायाधीश, बालाघाट द्वारा समय-समय पर अंतरित किये गये सत्र प्रकरण, विशेष प्रकरण, अपीले, पुनरीक्षण, अन्य दांडिक प्रकरण एवं जमानत आवेदन पत्र।
4	द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, बालाघाट एवं द्वितीय अतिरिक्त मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, बालाघाट	<ol style="list-style-type: none"> 1. प्रथम जिला न्यायाधीश बालाघाट के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण बालाघाट (म.प्र.), प्रथम जिला न्यायाधीश बालाघाट एवं प्रथम अति. मो.दु.दा. अधि. बालाघाट, द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश एवं पीठासीन अधिकारी (फास्ट ट्रेक कोर्ट) बालाघाट के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश बालाघाट, तृतीय अपर जिला न्यायाधीश (फास्ट ट्रेक कोर्ट) बालाघाट एवं तृतीय अपर जिला न्यायाधीश (फास्ट ट्रेक कोर्ट) बालाघाट के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश बालाघाट द्वारा पूर्व में निराकृत व्यवहार वादों से उत्पन्न निष्पादन वाद, व्यवहार प्रकरणों से उत्पन्न समस्त विविध कार्यवाहियां, मोटर दुर्घटना दावा (चैक आदि) से संबंधित विविध कार्यवाहियों एवं अपीलीय न्यायालयों से प्राप्त प्रकरणों का निराकरण।

कं.	न्यायालय का नाम	क्षेत्राधिकार व प्रकरणों का प्रकार
		<ol style="list-style-type: none"> 2. तहसील मुख्यालय बालाघाट के अंतर्गत आने वाले आरक्षी केन्द्र कोतवाली बालाघाट, ग्रामीण नवेगांव, भरवेली एवं आरक्षी केन्द्र किरनापुर के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न मोटर यान अधिनियम के अंतर्गत दुर्घटना दावा। 3. प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड बालाघाट, तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड बालाघाट, व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड बालाघाट के समस्त रिक्त न्यायालय, प्रथम, तृतीय, चतुर्थ, अष्टम व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खंड बालाघाट, व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड बालाघाट के समस्त रिक्त न्यायालय एवं व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड, लांजी तथा समस्त प्रशिक्षु न्यायाधीशगण बालाघाट के निर्णय, आज्ञाप्ति एवं आदेशों से उत्पन्न नियमित एवं विविध व्यवहार अपीलें। 4. राजस्व तहसील लामता से उत्पन्न हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 एवं हिन्दू दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम, 1956 के अंतर्गत समस्त प्रकरण। 5. राजस्व तहसील लामता से उत्पन्न विशेष विवाह अधिनियम, 1954 के समस्त प्रकरण। 6. राजस्व तहसील लामता से उत्पन्न संरक्षक एवं प्रतिपाल्य अधिनियम के अंतर्गत प्रकरण। 7. प्रधान जिला न्यायाधीश बालाघाट द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले प्रकरण। 8. सिविल जिला बालाघाट के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न बेनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम अधिनियम, 2019 (Banning of Unregulated Deposit Schemes Act, 2019 (21 of 2019)) से उद्भूत समस्त सत्र प्रकरणों, रिमांड, जमानत आवेदन आदि का निराकरण। 9. सत्र न्यायाधीश, बालाघाट द्वारा समय-समय पर अंतरित किये गये सत्र प्रकरण, विशेष प्रकरण, अपील, पुनरीक्षण, अन्य दांडिक प्रकरण एवं जमानत आवेदन पत्र।
.5	प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, वारासिवनी एवं प्रथम अतिरिक्त मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण वारासिवनी	<ol style="list-style-type: none"> 1. तहसील मुख्यालय वारासिवनी से उत्पन्न समस्त प्रकार के नियमित एवं अकिंचन व्यवहार वाद, जिनका मूल्यांकन रुपये 1,00,00,000/- (एक करोड रुपये) से अधिक हो। 2. तहसील मुख्यालय वारासिवनी स्थित समस्त व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड, प्रथम, तृतीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड वारासिवनी एवं प्रशिक्षु न्यायाधीश वारासिवनी के न्यायालय द्वारा घोषित निर्णय, आज्ञाप्ति एवं पारित आदेशों से उत्पन्न नियमित एवं विविध व्यवहार अपीलें। 3. तहसील कटंगी के अंतर्गत आने वाले आरक्षी केन्द्रों से उत्पन्न मोटर यान अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत दुर्घटना दावा। 4. तहसील वारासिवनी के क्षेत्रांतर्गत मध्यस्थम और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 36 सहपठित आदेश 21 नियम 11 व्यवहार प्रकिया संहिता के रुपये एक करोड से अधिक मूल्य के प्रस्तुत होने वाले निष्पादन प्रकरण। 5. तहसील मुख्यालय वारासिवनी एवं कटंगी के क्षेत्रांतर्गत भूमि-अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के अंतर्गत उद्भूत प्रकरण।

कं.	न्यायालय का नाम	क्षेत्राधिकार व प्रकरणों का प्रकार
		<ol style="list-style-type: none"> 6. म.प्र. लोक न्यास अधिनियम, के अंतर्गत तहसील वारासिवनी एवं कटंगी से उत्पन्न प्रकरणों का निराकरण। 7. तहसील वारासिवनी एवं कटंगी से उत्पन्न लघुवाद मामले, जिनका मूल्यांकन रु. 500/- (रु.पांच सौ) से अधिक किन्तु रु. 1000/- (एक हजार रुपये) से अधिक न हो। 8. तहसील वारासिवनी एवं कटंगी से उत्पन्न प्रोबेट एवं लेटर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के अधीन प्रकरण। 9. तहसील वारासिवनी से उत्पन्न हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 एवं हिन्दू दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम, 1956 के अंतर्गत समस्त प्रकरण। 10. प्रधान जिला न्यायाधीश, बालाघाट द्वारा समय-समय पर अंतरित किये गये प्रकरणों का निराकरण। 11. तहसील वारासिवनी के अंतर्गत स्थित आरक्षी केन्द्र-वारासिवनी, लालबर्गा, रामपायली, खैरलांजी के अधिकार क्षेत्र से उत्पन्न जमानत आवेदन पत्रों (लैंगिक अपराधों से बालको का संरक्षण अधिनियम, 2012 (POCSO) से संबंधित को छोड़कर) का पंजीयन कर, निराकरण करना। 12. तहसील मुख्यालय वारासिवनी एवं कटंगी में पदस्थ न्यायिक दंडाधिकारियों के निर्णय एवं आदेशों से उत्पन्न अपील एवं पुनरीक्षण प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, वारासिवनी के न्यायालय में पेश होगी, जहाँ से पंजीयन हेतु सत्र न्यायालय बालाघाट को भेजी जावेंगी। 13. तहसील मुख्यालय, वारासिवनी क्षेत्र से उत्पन्न विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 की संख्या 36) के अंतर्गत संस्थित प्रकरणों एवं जमानत याचिकायें। 14. मध्यप्रदेश निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम, 2000 (क्रमांक 16 सन् 2001) के अंतर्गत तहसील वारासिवनी एवं कटंगी के सभी थाना क्षेत्रों से उद्भूत होने वाले प्रकरणों, रिमांड, जमानत आवेदन आदि का निराकरण। 15. सत्र न्यायाधीश, बालाघाट द्वारा समय-समय पर अंतरित किये गये सत्र प्रकरण, विशेष प्रकरण, अपीले, पुनरीक्षण, अन्य दांडिक प्रकरण एवं जमानत आवेदन पत्र।
6	<p>प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, वारासिवनी के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश वारासिवनी एवं विशेष न्यायाधीश, (लैंगिक अपराधों से बालको का संरक्षण अधिनियम 2012 (POCSO)) वारासिवनी तथा द्वितीय अतिरिक्त मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, वारासिवनी</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. तहसील मुख्यालय कटंगी से उत्पन्न समस्त प्रकार के नियमित एवं अकिंचन व्यवहार वाद, जिनका मूल्यांकन रुपये 1,00,00,000/- (एक करोड रुपये) से अधिक हो। 2. द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड वारासिवनी, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड वारासिवनी के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश वारासिवनी तथा कटंगी स्थित समस्त व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड के न्यायालयों द्वारा घोषित निर्णय, आज्ञाप्ति एवं पारित आदेशों से उत्पन्न नियमित एवं विविध व्यवहार अपीलों का निराकरण एवं तहसील मुख्यालय कटंगी में पूर्व में पदस्थ अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड कटंगी द्वारा घोषित निर्णय, आज्ञाप्ति एवं आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत नियमित व्यवहार अपील एवं विविध व्यवहार अपील। 3. तहसील वारासिवनी के अंतर्गत आने वाले आरक्षी केन्द्रों से उत्पन्न मोटर यान अधिनियम के अंतर्गत दुर्घटना दावा। 4. तहसील कटंगी के क्षेत्रांतर्गत मध्यस्थम और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 36 सहपठित आदेश 21 नियम 11 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के रुपये एक करोड से अधिक

क्रं.	न्यायालय का नाम	क्षेत्राधिकार व प्रकरणों का प्रकार
		<p>मूल्य के प्रस्तुत होने वाले निष्पादन प्रकरण।</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. तहसील वारासिवनी एवं कटंगी के क्षेत्राधिकार में नगरपालिका अधिनियम, 1961 के धारा 139 के अधीन प्रस्तुत अपीलीय आदेशों के संबंध में व्यवहार न्यायाधीशों के द्वारा घोषित निर्णय के विरुद्ध धारा 139 की उपधारा 5 के अंतर्गत प्रस्तुत पुनरीक्षण एवं नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 172 के अधीन प्रस्तुत अपीलीय आदेशों के विरुद्ध व्यवहार न्यायाधीशों के द्वारा घोषित निर्णय के विरुद्ध धारा 172 की उपधारा 3 के अंतर्गत प्रस्तुत पुनरीक्षण। 6. तहसील कटंगी से उत्पन्न हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 एवं हिन्दू दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम, 1956 के अंतर्गत समस्त प्रकरण। 7. तहसील वारासिवनी एवं कटंगी से उत्पन्न विशेष विवाह अधिनियम, 1954 के समस्त प्रकरण। 8. तहसील मुख्यालय वारासिवनी एवं कटंगी के क्षेत्रांतर्गत म.प्र. स्थान नियंत्रण अधि., 1961 की धारा 31 के अंतर्गत प्रस्तुत अपीलें। 9. तहसील वारासिवनी एवं कटंगी से उत्पन्न संरक्षक एवं प्रतिपाल्य अधिनियम के अंतर्गत प्रकरण। 10. तहसील कटंगी से उत्पन्न लघुवाद मामले, जिनका मूल्यांकन रु. 500/—(रु. पांच सौ) से अधिक किन्तु रु. 1000/—(रु. एक हजार) से अधिक न हो। 11. तृतीय अपर जिला न्यायाधीश (फास्ट ट्रेक कोर्ट) बालाघाट के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश वारासिवनी, द्वितीय जिला न्यायाधीश वारासिवनी द्वारा पूर्व में निराकृत व्यवहार वादों से उत्पन्न निष्पादन वाद, व्यवहार प्रकरणों से उत्पन्न विविध कार्यवाहियां, मोटर दुर्घटना दावा से संबंधित विविध कार्यवाहियाँ एवं अपीलीय न्यायालयों से प्राप्त प्रकरणों का निराकरण। 12. प्रधान जिला न्यायाधीश, बालाघाट द्वारा समय-समय पर अंतरित किये गये प्रकरणों का निराकरण। 13. तहसील कटंगी के अंतर्गत स्थित आरक्षी केन्द्र कटंगी एवं तिरोड़ी के अधिकार क्षेत्र से उत्पन्न जमानत आवेदन पत्रों (लैंगिक अपराधों से बालको का संरक्षण अधिनियम, 2012 (POCSO) से संबंधित को छोड़कर) का पंजीयन कर, निराकरण करना। 14. तहसील मुख्यालय वारासिवनी एवं कटंगी के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न लैंगिक अपराधों से बालको का संरक्षण अधिनियम 2012 (POCSO) से उद्भूत समस्त सत्र प्रकरण एवं धारा 438 एवं धारा 439 द.प्र.सं. के तहत प्रस्तुत होने वाली जमानत याचिकायें। 15. तहसील मुख्यालय वारासिवनी एवं कटंगी के क्षेत्राधिकार से उद्भूत होने वाले महिलाओं के विरुद्ध अपराध (O.A.W., The category of offences mentioned in Registry Memo No.C/633 dated 18.02.2021) से संबंधित प्रकरणों के विचारण, उनसे संबंधित जमानत आवेदन पत्रों तथा अन्य अनुशांगिक कार्यवाहियों का निराकरण। 16. सत्र न्यायाधीश, बालाघाट द्वारा समय-समय पर अंतरित किये गये सत्र प्रकरण, विशेष प्रकरण, अपीले, पुनरीक्षण, अन्य दांडिक प्रकरण एवं जमानत आवेदन पत्र।

कं.	न्यायालय का नाम	क्षेत्राधिकार व प्रकरणों का प्रकार
7	जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, बैहर एवं मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, बैहर	<ol style="list-style-type: none"> 1. तहसील मुख्यालय बैहर से उत्पन्न समस्त प्रकार के नियमित एवं अकिंचन व्यवहार वाद, जिनका मूल्यांकन रुपये 1,00,00,000/- (रु. एक करोड़) से अधिक हो। 2. तहसील मुख्यालय बैहर स्थित व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खंड एवं व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड के न्यायालयों द्वारा घोषित निर्णय, आज्ञाप्ति एवं पारित आदेशों से उत्पन्न नियमित एवं विविध व्यवहार अपीलों का निराकरण। 3. तहसील बैहर के क्षेत्राधिकार में नगरपालिका अधिनियम, 1961 के धारा 139 के अधीन प्रस्तुत अपीलीय आदेशों के संबंध में व्यवहार न्यायाधीशों के द्वारा घोषित निर्णय के विरुद्ध धारा 139 की उपधारा 5 के अंतर्गत प्रस्तुत पुनरीक्षण एवं नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 172 के अधीन प्रस्तुत अपीलीय आदेशों के विरुद्ध व्यवहार न्यायाधीशों के द्वारा घोषित निर्णय के विरुद्ध धारा 172 की उपधारा 3 के अंतर्गत प्रस्तुत पुनरीक्षण। 4. तहसील बैहर से उत्पन्न मोटर यान अधिनियम, के अंतर्गत मोटर दुर्घटना दावा। 5. तहसील मुख्यालय बैहर के क्षेत्रांतर्गत भूमि-अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के अंतर्गत उद्भूत प्रकरण। 6. तहसील बैहर के क्षेत्रांतर्गत मध्यस्थम और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 36 सहपठित आदेश 21 नियम 11 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के रुपये एक करोड़ से अधिक मूल्य के प्रस्तुत होने वाले निष्पादन प्रकरण। 7. तहसील बैहर से उत्पन्न प्रोबेट एवं लेटर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के अधीन प्रकरण। 8. तहसील बैहर से उत्पन्न हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 एवं हिन्दू दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम, 1956 के अंतर्गत समस्त प्रकरण। 9. म.प्र. लोक न्यास अधिनियम, के अंतर्गत तहसील बैहर से उत्पन्न प्रकरणों का निराकरण। 10. तहसील बैहर के क्षेत्रांतर्गत म.प्र. स्थान नियंत्रण अधि., 1961 की धारा 31 के अंतर्गत प्रस्तुत अपीलें। 11. तहसील बैहर से उत्पन्न संरक्षक एवं प्रतिपाल्य अधिनियम के अंतर्गत प्रकरण। 12. तहसील बैहर से उत्पन्न लघुवाद मामले, जिनका मूल्यांकन रु. 500/- (रु. पांच सौ) से अधिक किन्तु रु. 1000/- (रु. एक हजार) से अधिक न हो। 13. तहसील बैहर से उत्पन्न विशेष विवाह अधिनियम, 1954 के समस्त प्रकरण। 14. प्रथम/द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश बालाघाट श्रृंखला न्यायालय बैहर द्वारा पूर्व में निराकृत व्यवहार वादों से उत्पन्न निष्पादन वाद, व्यवहार प्रकरणों से उत्पन्न समस्त विविध कार्यवाहियों, मोटर दुर्घटना से सम्बंधित समस्त विविध कार्यवाहियों एवं अपीलीय न्यायालय से प्राप्त प्रकरणों का निराकरण। 15. प्रधान जिला न्यायाधीश बालाघाट द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले प्रकरणों का निराकरण।

कं.	न्यायालय का नाम	क्षेत्राधिकार व प्रकरणों का प्रकार
		<p>16. तहसील बैहर के अंतर्गत स्थित आरक्षी केन्द्रों के अधिकार क्षेत्र से उत्पन्न धारा 438 एवं 439 द.प्र.सं. के तहत प्रस्तुत जमानत आवेदन पत्रों का पंजीयन एवं निराकरण।</p> <p>17. बैहर में पदस्थ न्यायिक दंडाधिकारियों के निर्णय एवं आदेशों से उत्पन्न अपील एवं पुनरीक्षण अपर सत्र न्यायाधीश बैहर के न्यायालय में पेश होंगी जहां से पंजीयन हेतु सत्र न्यायालय बालाघाट को भेजी जावेंगी।</p> <p>18. तहसील मुख्यालय बैहर के क्षेत्राधिकार में उत्पन्न लैंगिक अपराधों से बालको का संरक्षण अधिनियम, 2012 (POCSO) से उद्भूत समस्त सत्र प्रकरण एवं धारा 438 एवं धारा 439 से संबंधित जमानत याचिकायें।</p> <p>19. मध्यप्रदेश निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम, 2000 (क्रमांक 16 सन् 2001) के अंतर्गत तहसील बैहर के सभी थाना क्षेत्रों से उद्भूत होने वाले प्रकरणों, रिमांड, जमानत आवेदन आदि का निराकरण।</p> <p>20. सत्र न्यायाधीश, बालाघाट द्वारा समय-समय पर अंतरित किये गये सत्र प्रकरण, विशेष प्रकरण, अपीले, पुनरीक्षण, अन्य दांडिक प्रकरण एवं जमानत आवेदन पत्र।</p>
8	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खंड, बालाघाट	<p>1. जिला मुख्यालय बालाघाट एवं लांजी से उत्पन्न समस्त प्रकार के नियमित एवं अकिंचन व्यवहार वाद जिनका मूल्यांकन रु. 5,00,000/- (रु. पाँच लाख) से अधिक किन्तु रु. 1,00,00,000/- (रु. एक करोड़) से अधिक न हो।</p> <p>2. तहसील बालाघाट एवं लांजी से उत्पन्न भारतीय उत्तराधिकार अधि., 1925 के भाग-10 के अंतर्गत समस्त प्रकरण।</p> <p>3. म.प्र. नगरपालिका अधि., 1961 की धारा 139 एवं धारा 172 के अंतर्गत बालाघाट नगरपालिका क्षेत्र से संबंधित अपील।</p> <p>4. प्राविन्सीयल इन्साल्वेंसी अधि., 1927 के अंतर्गत तहसील बालाघाट एवं लांजी से उद्भूत प्रकरण।</p> <p>5. तहसील बालाघाट एवं लांजी से उद्भूत लघुवाद प्रकरण, जिनका मूल्यांकन रु. 200/- (रु. दो सौ) से अधिक, किन्तु रु. 500/- (रु. पांच सौ) से अधिक न हो।</p> <p>6. व्य.न्या.वरिष्ठ खंड बालाघाट एवं प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड बालाघाट के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश लांजी के न्यायालयों द्वारा पूर्व में निराकृत व्यवहार वादों से उत्पन्न निष्पादन वाद, विविध कार्यवाहियां एवं अपीलीय न्यायालय से प्राप्त होने वाले प्रकरणों का निराकरण।</p> <p>7. तहसील बालाघाट एवं लांजी के क्षेत्रांतर्गत मध्यस्थम और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 36 सहपठित आदेश 21 नियम 11 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के रुपये 5,00,000/- से रुपये एक करोड़ तक मूल्य के प्रस्तुत होने वाले निष्पादन प्रकरण।</p> <p>8. प्रधान जिला न्यायाधीश, बालाघाट द्वारा समय-समय पर अंतरित किये गये प्रकरणों का निराकरण।</p>
9	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खंड, बालाघाट	<p>1. प्रधान जिला न्यायाधीश, बालाघाट द्वारा समय-समय पर अंतरित किये गये प्रकरणों का निराकरण।</p>

क्र.	न्यायालय का नाम	क्षेत्राधिकार व प्रकरणों का प्रकार
10	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खंड, बालाघाट तथा न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय बालाघाट एवं रजिस्ट्रार सिविल कोर्ट बालाघाट	<ol style="list-style-type: none"> 1. तहसील बालाघाट से उत्पन्न लघुवाद जिनका मूल्यांकन रुपये 200/- (रु. दो सौ) से अधिक न हो। 2. राजस्व तहसील बालाघाट के क्षेत्रीय अधिकारिता के अंतर्गत आने वाली जनपद पंचायत/जनपद पंचायतों से उत्पन्न समस्त प्रकार के प्रकरण जिनका उल्लेख ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 की धारा 13 व 14 तथा अधिनियम, की दूसरी अनुसूची के भाग 1, 2 व 3 में दिया गया है जिनका मूल्यांकन रुपये 25,000/- (रु. पच्चीस हजार) से अधिक न हो। 3. तहसील बालाघाट में व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड के समस्त रिक्त न्यायालयों तथा प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड बालाघाट के न्यायालय के प्रथम/द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ/पंचम/षष्ठम/सप्तम/अष्टम अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश द्वारा पूर्व में निराकृत व्यवहारवादों से उत्पन्न निष्पादन वाद, विविध कार्यवाहियां एवं अपीलीय न्यायालयों से प्राप्त होने वाले प्रकरणों का निराकरण। 4. प्रधान जिला न्यायाधीश, बालाघाट द्वारा समय-समय पर अंतरित किये गये प्रकरणों का निराकरण।
11	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खंड, बालाघाट एवं प्रधान मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड बालाघाट	<ol style="list-style-type: none"> 1. किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम के तहत गठित प्रधान मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड बालाघाट के सुनवाई योग्य समस्त प्रकरण। 2. प्रधान जिला न्यायाधीश, बालाघाट द्वारा समय-समय पर अंतरित किये गये प्रकरणों का निराकरण।
12	तृतीय व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खंड, बालाघाट	<ol style="list-style-type: none"> 1. प्रधान जिला न्यायाधीश, बालाघाट द्वारा समय-समय पर अंतरित किये गये प्रकरणों का निराकरण।
13	अष्टम व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खंड, बालाघाट	<ol style="list-style-type: none"> 1. तहसील बालाघाट से उत्पन्न समस्त प्रकार के नियमित एवं अकिंचन व्यवहार वाद जिनका मूल्यांकन रुपये 1/- (एक रुपये) से 5,00,000/- (पांच लाख रुपये) तक हो। 2. तहसील बालाघाट के क्षेत्रांतर्गत मध्यस्थम और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 36 सहपठित आदेश 21 नियम 11 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के रुपये 5,00,000/- तक मूल्य के प्रस्तुत होने वाले निष्पादन प्रकरण। 3. प्रधान जिला न्यायाधीश, बालाघाट द्वारा समय-समय पर अंतरित किये गये प्रकरणों का निराकरण।
14	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खंड, वारासिवनी	<ol style="list-style-type: none"> 1. तहसील कटंगी से उत्पन्न समस्त प्रकार के नियमित एवं अकिंचन व्यवहार वाद जिनका मूल्यांकन रु. 5,00,000/- (पांच लाख रुपये) से अधिक किन्तु रु. 1,00,00,000/- (रु. एक करोड़) से अधिक न हो। 2. तहसील कटंगी के समस्त व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड के रिक्त न्यायालयों द्वारा पूर्व में निराकृत व्यवहारवादों से उत्पन्न निष्पादन वाद, विविध कार्यवाहियां एवं अपीलीय न्यायालय से प्राप्त होने वाले प्रकरणों का निराकरण। 3. तहसील कटंगी के क्षेत्रांतर्गत मध्यस्थम और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 36 सहपठित आदेश 21 नियम 11 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के रुपये 5,00,000/- से अधिक किन्तु रुपये एक करोड़ तक मूल्य के प्रस्तुत होने वाले निष्पादन प्रकरण। 4. तहसील कटंगी से उत्पन्न भारतीय उत्तराधिकार अधि., 1925 के भाग-10 के अंतर्गत समस्त प्रकरण।

कं.	न्यायालय का नाम	क्षेत्राधिकार व प्रकरणों का प्रकार
		<ol style="list-style-type: none"> म.प्र. नगरपालिका अधि., 1961 की धारा 139 एवं 172 के अंतर्गत कटंगी नगरपालिका क्षेत्र से संबंधित अपील। प्राविन्सीयल इन्साल्वेंसी अधि., 1927 के अंतर्गत तहसील कटंगी से उद्भूत प्रकरण। तहसील कटंगी से उद्भूत लघुवाद प्रकरण, जिनका मूल्यांकन रु. 200/—(रु. दो सौ) से अधिक, किन्तु रु. 500/— (रु. पांच सौ) से अधिक न हो। प्रधान जिला न्यायाधीश, बालाघाट द्वारा समय-समय पर अंतरित किये गये प्रकरणों का निराकरण।
15	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खंड, वारासिवनी	<ol style="list-style-type: none"> तहसील वारासिवनी से उत्पन्न समस्त प्रकार के नियमित एवं अकिंचन व्यवहार वाद जिनका मूल्यांकन रु. 5,00,000/— (पाँच लाख रुपये) से अधिक किन्तु रु. 1,00,00,000/—(रु. एक करोड़) से अधिक न हो। तहसील वारासिवनी से उत्पन्न भारतीय उत्तराधिकार अधि., 1925 के भाग-10 के अंतर्गत समस्त प्रकरण। म.प्र. नगरपालिका अधि., 1961 की धारा 139 एवं 172 के अंतर्गत वारासिवनी नगरपालिका क्षेत्र से संबंधित अपील। प्राविन्सीयल इन्साल्वेंसी अधि., 1927 के अंतर्गत तहसील वारासिवनी से उद्भूत प्रकरण। तहसील वारासिवनी से उद्भूत लघुवाद प्रकरण, जिनका मूल्यांकन रु. 200/—(रु. दो सौ) से अधिक, किन्तु रु. 500/— (रु. पांच सौ) से अधिक न हो। तहसील वारासिवनी के क्षेत्रांतर्गत मध्यस्थम और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 36 सहपठित आदेश 21 नियम 11 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के रुपये 5,00,000/— से अधिक किन्तु रुपये एक करोड़ तक मूल्य के प्रस्तुत होने वाले निष्पादन प्रकरण। प्रधान जिला न्यायाधीश, बालाघाट द्वारा समय-समय पर अंतरित किये गये प्रकरणों का निराकरण।
16	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खंड, वारासिवनी	<ol style="list-style-type: none"> तहसील वारासिवनी से उत्पन्न समस्त प्रकार के नियमित एवं अकिंचन व्यवहार वाद जिनका मूल्यांकन रुपये 1/— से 5,00,000/— (पांच लाख रुपये) तक हो। तहसील वारासिवनी से उत्पन्न लघुवाद जिनका मूल्यांकन रु. 200/—(रु.दो सौ) अधिक न हो। तहसील वारासिवनी के क्षेत्रांतर्गत मध्यस्थम और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 36 सहपठित आदेश 21 नियम 11 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के रुपये 5,00,000/— तक मूल्य के प्रस्तुत होने वाले निष्पादन प्रकरण। तहसील वारासिवनी में तृतीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड वारासिवनी एवं प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड वारासिवनी के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश-गण वारासिवनी द्वारा पूर्व में निराकृत व्यवहार वादों से उत्पन्न निष्पादन वाद, विविध वाद, समस्त विविध कार्यवाहियां तथा अपीलीय न्यायालयों से प्राप्त होने वाले प्रकरणों का निराकरण। प्रधान जिला न्यायाधीश बालाघाट द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले प्रकरणों का निराकरण।

क्र.	न्यायालय का नाम	क्षेत्राधिकार व प्रकरणों का प्रकार
17	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खंड, वाराणसी	1. प्रधान जिला न्यायाधीश, बालाघाट द्वारा समय-समय पर अंतरित किये गये प्रकरणों का निराकरण।
18	व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खंड, कटंगी	1. तहसील कटंगी से उत्पन्न समस्त प्रकार के नियमित एवं अकिंचन व्यवहार वाद जिनका मूल्यांकन रुपये 5,00,000/- (रु. पांच लाख) से अधिक न हो। 2. तहसील कटंगी से उद्भूत लघुवाद प्रकरण, जिनका मूल्यांकन रु. रुपये 200/- (रु. दो सौ) से अधिक न हो। 3. तहसील कटंगी के क्षेत्रांतर्गत मध्यस्थम और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 36 सहपठित आदेश 21 नियम 11 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के रुपये पांच लाख तक मूल्य के प्रस्तुत होने वाले निष्पादन प्रकरण। 4. प्रधान जिला न्यायाधीश, बालाघाट द्वारा समय-समय पर अंतरित किये गये प्रकरणों का निराकरण।
19	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खंड, बैहर	1. तहसील मुख्यालय बैहर से उत्पन्न समस्त प्रकार के नियमित एवं अकिंचन व्यवहार वाद जिनका मूल्यांकन रु. 5,00,000/- (रु. पाँच लाख) से अधिक किन्तु रु. 1,00,00,000/- (रु. एक करोड़) से अधिक न हो। 2. तहसील बैहर से उत्पन्न भारतीय उत्तराधिकार अधि., 1925 के भाग-10 के अंतर्गत समस्त प्रकरण। 3. म.प्र. नगरपालिका अधि., 1961 की धारा 139 एवं धारा 172 के अंतर्गत बैहर नगरपालिका क्षेत्र से संबंधित अपील। 4. प्राविन्सीयल इन्साल्वेंसी अधि., 1927 के अंतर्गत तहसील बैहर से उद्भूत प्रकरण। 5. तहसील बैहर से उद्भूत लघुवाद प्रकरण, जिनका मूल्यांकन रु. 200/- (रु. दो सौ) से अधिक, किन्तु रु. 500/- (रु. पांच सौ) से अधिक न हो। 6. व्य.न्यायाधीश वरिष्ठ खंड बैहर, द्वितीय व्य. न्यायाधीश वरिष्ठ खंड बैहर एवं अति. व्य.न्यायाधीश वरिष्ठ खंड बैहर के द्वारा पूर्व में निराकृत व्यवहार वादों से उत्पन्न निष्पादन वाद, विविध वाद, समस्त विविध कार्यवाहियां एवं अपीलीय न्यायालय से प्राप्त होने वाले प्रकरणों का निराकरण। 7. तहसील बैहर के क्षेत्रांतर्गत मध्यस्थम और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 36 सहपठित आदेश 21 नियम 11 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के रुपये 5,00,000/- से रुपये एक करोड़ तक मूल्य के प्रस्तुत होने वाले निष्पादन प्रकरण। 8. प्रधान जिला न्यायाधीश, बालाघाट द्वारा समय-समय पर अंतरित किये गये प्रकरणों का निराकरण।
20	व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खंड, बैहर	1. तहसील बैहर से उत्पन्न समस्त प्रकार के नियमित एवं अकिंचन व्यवहार वाद जिनका मूल्यांकन रुपये 5,00,000/- (रु. पांच लाख) से अधिक न हो। 2. तहसील बैहर में व्य.न्यायाधीश कनिष्ठ खंड बैहर के अतिरिक्त न्यायाधीश-गण के रिक्त न्यायालयों द्वारा पूर्व में निराकृत व्यवहार वादों से उत्पन्न निष्पादन वाद, विविध वाद, समस्त विविध कार्यवाहियां एवं अपीलीय न्यायालय से प्राप्त होने वाले प्रकरणों का निराकरण। 3. तहसील बैहर से उत्पन्न लघु वाद जिनका मूल्यांकन रु. 200/- (रु. दो सौ) से अधिक न हो।

कं.	न्यायालय का नाम	क्षेत्राधिकार व प्रकरणों का प्रकार
		<p>4 तहसील बैहर के क्षेत्रांतर्गत मध्यस्थम और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 36 सहपठित आदेश 21 नियम 11 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के रुपये 5,00,000/- तक मूल्य के प्रस्तुत होने वाले निष्पादन प्रकरण।</p> <p>5. प्रधान जिला न्यायाधीश बालाघाट द्वारा समय-समय पर अंतरित किये गये प्रकरणों का निराकरण।</p>
21	व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खंड, लांजी	<p>1. तहसील लॉजी से उत्पन्न समस्त प्रकार के नियमित एवं अकिंचन व्यवहार वाद जिनका मूल्यांकन रुपये 5,00,000/- (रु.पांच लाख) से अधिक न हो।</p> <p>2. तहसील लांजी से उद्भूत लघुवाद प्रकरण, जिनका मूल्यांकन रु. रुपये 200/- (रु. दो सौ) से अधिक न हो।</p> <p>3. तहसील लांजी के क्षेत्रांतर्गत मध्यस्थम और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 36 सहपठित आदेश 21 नियम 11 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के रुपये पांच लाख तक मूल्य के प्रस्तुत होने वाले निष्पादन प्रकरण।</p> <p>4. प्रधान जिला न्यायाधीश, बालाघाट द्वारा समय-समय पर अंतरित किये गये प्रकरणों का निराकरण।</p>

—: अत्यावश्यक सुनवाई को लेकर कार्य-व्यवस्था :—

टीप :- निम्न तालिका अनुसार कॉलम-1 के न्यायाधीश के अवकाश पर होने या अन्यथा अनुपस्थित रहने पर कॉलम नम्बर 02 में उल्लेखित अधिकारी तथा उनकी अनुपस्थिति में कॉलम नम्बर 3 में उल्लेखित अधिकारी तथा उनकी अनुपस्थिति में कॉलम नम्बर 4 में उल्लेखित अधिकारी द्वारा उनके न्यायालयों का आवश्यक कार्य संपादित किया जावेगा :-

अवकाश/अनुपस्थिति पर प्रभार :-

क	1	2	3	4
1	प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बालाघाट	विशेष न्यायाधीश (एट्रोसिटीज़) बालाघाट	प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश बालाघाट	द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश बालाघाट
2	विशेष न्यायाधीश (एट्रोसिटीज़) बालाघाट	प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश बालाघाट	द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश बालाघाट	प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश बालाघाट
3	प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, बालाघाट	विशेष न्यायाधीश (एट्रोसिटीज़) बालाघाट	द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश बालाघाट	प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश बालाघाट
4	द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश बालाघाट	प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश बालाघाट	विशेष न्यायाधीश (एट्रोसिटीज़) बालाघाट	प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश बालाघाट
5	जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, बैहर	विशेष न्यायाधीश (एट्रोसिटीज़) बालाघाट	प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश बालाघाट	द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश बालाघाट
6	प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, वारासिवनी	प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश वारासिवनी के न्यायालय के अति.न्यायाधीश	प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश बालाघाट	द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश बालाघाट
7	प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश वारासिवनी के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश	प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, वारासिवनी	प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश बालाघाट	द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश बालाघाट
8	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड, बालाघाट	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड, बालाघाट	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड, वारासिवनी	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड, वारासिवनी
9	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड, बालाघाट	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड, बालाघाट	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड, वारासिवनी	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड, वारासिवनी

क	1	2	3	4
10	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड, बालाघाट	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड, बालाघाट	तृतीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड, बालाघाट	अष्टम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड, बालाघाट
11	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड, बालाघाट	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड, बालाघाट	तृतीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड, बालाघाट	अष्टम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड, बालाघाट
12	तृतीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड, बालाघाट	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड, बालाघाट	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड, बालाघाट	अष्टम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड, बालाघाट
13	अष्टम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड, बालाघाट	तृतीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड, बालाघाट	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड, बालाघाट	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड, बालाघाट
14	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड, वारासिवनी	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड, वारासिवनी	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड, बालाघाट	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड, बालाघाट
15	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड, वारासिवनी	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड, वारासिवनी	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड, बालाघाट	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड, बालाघाट
16	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड, वारासिवनी	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड, वारासिवनी	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड, वारासिवनी	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड, वारासिवनी
17	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड, वारासिवनी	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड, वारासिवनी	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड, वारासिवनी	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड, वारासिवनी
18	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड, बैहर	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड, बालाघाट	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड, बालाघाट	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड, वारासिवनी
19	व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड, बैहर	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड, बैहर	तृतीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड, बालाघाट	अष्टम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड बालाघाट
20	व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड लांजी	तृतीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड बालाघाट	अष्टम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड, बालाघाट	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड, बालाघाट
21	व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड, कटंगी	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड, वारासिवनी	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड, वारासिवनी	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड, वारासिवनी

टीप :-

1. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश बालाघाट के अवकाश पर होने पर ऐसे आवेदकों के प्रस्तुत होने वाले पश्चातवर्ती जमानत आवेदन-पत्र स्वमेव उसी न्यायालय में अंतरित होना मान्य किये जावेगे जिस न्यायालय के द्वारा पूर्व में सुने व निराकृत किये गये हो।
2. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बालाघाट के अवकाश पर होने पर ऐसे जमानत आवेदन पत्र स्वमेव उस न्यायालय में अंतरित मान्य किये जावेंगे, जिस न्यायालय के द्वारा उक्त अपराध क्रमांक में किसी अन्य सह-आरोपी की जमानत आवेदन पूर्व में निराकृत किया गया है।
3. जिला मुख्यालय में सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश व अन्य अपर सत्र न्यायाधीशगण के अवकाश पर रहने अथवा अन्यथा उपस्थित न रहने पर समस्त प्रकार का औपचारिक एवं उक्त न्यायालय के सत्र एवं आपराधिक प्रकरणों के साधारण प्रकृति के कार्य (गुण दोष के आधार पर निराकरण को छोड़कर जैसे रिमांड, वारंट एवं आदेश पत्रिकाओं पर हस्ताक्षर) मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बालाघाट संपादित करेंगे तथा उनकी अनुपस्थिति में उसी क्रम में वरिष्ठ न्यायिक मजिस्ट्रेट हस्ताक्षर करने के लिये अधिकृत होंगे।
4. मुख्यालय बालाघाट में सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश (एट्रोसिटिज) व अन्य अपर सत्र न्यायाधीशगण के अवकाश पर रहने अथवा अन्यथा उपस्थित ना रहने पर उनके न्यायालयों का अत्यावश्यक कार्य तहसील मुख्यालय वारासिवनी में उपस्थित प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश वारासिवनी के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश व

उनकी अनुपस्थिति में प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश वारासिवनी द्वारा सम्पादित किया जावेगा तथा उक्त सभी अपर सत्र न्यायाधीशगण के अवकाश पर रहने अथवा अन्यथा उपस्थित ना रहने पर अपर सत्र न्यायाधीश बैहर द्वारा सम्पादित किया जावेगा।

5. तहसील मुख्यालय वारासिवनी में प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश वारासिवनी एवं प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश वारासिवनी के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश वारासिवनी के अवकाश पर रहने अथवा अन्यथा उपस्थित ना रहने पर उनके न्यायालयों का अत्यावश्यक कार्य जिला मुख्यालय बालाघाट में उपस्थित विशेष न्यायाधीश (एट्रोसिटिज) व उनकी अनुपस्थिति में उसी क्रम में वरिष्ठ अपर सत्र न्यायाधीश द्वारा सम्पादित किया जावेगा तथा उक्त सभी अपर सत्र न्यायाधीशगण के अवकाश पर रहने अथवा अन्यथा उपस्थित ना रहने पर अपर सत्र न्यायाधीश बैहर द्वारा सम्पादित किया जावेगा।
6. तहसील मुख्यालय बैहर में अपर सत्र न्यायाधीश के अवकाश पर रहने अथवा अन्यथा उपस्थित ना रहने पर उनके न्यायालय का अत्यावश्यक कार्य जिला मुख्यालय बालाघाट में उपस्थित विशेष न्यायाधीश (एट्रोसिटिज) व उनकी अनुपस्थिति में उसी क्रम में वरिष्ठ अपर सत्र न्यायाधीश द्वारा सम्पादित किया जावेगा तथा उक्त सभी अपर सत्र न्यायाधीशगण के अवकाश पर रहने अथवा अन्यथा उपस्थित ना रहने पर तहसील मुख्यालय वारासिवनी में उपस्थित वरिष्ठ अपर सत्र न्यायाधीश द्वारा सम्पादित किया जावेगा।
7. तहसील वारासिवनी एवं बैहर स्थित अपर सत्र न्यायाधीश के अवकाश पर या अन्यथा अनुपस्थित रहने के दौरान उक्त न्यायालय के सत्र एवं अन्य आपराधिक प्रकरणों के साधारण प्रकृति के कार्य (गुण दोष के आधार पर निराकरण को छोड़ कर, जैसे रिमांड, वारंट एवं आदेश पत्रिका पर हस्ताक्षर) औपचारिक कार्य हेतु वारासिवनी/बैहर स्थित वरिष्ठ न्यायिक मजिस्ट्रेट हस्ताक्षर करने के लिए अधिकृत होंगे।
8. जिला मुख्यालय में प्रथम/द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खंड बालाघाट के अवकाश पर रहने अथवा अन्यथा उपस्थित न रहने पर समस्त प्रकार का औपचारिक एवं उक्त न्यायालय के सिविल प्रकरणों के साधारण प्रकृति के कार्य (गुण दोष के आधार पर निराकरण को छोड़कर) रजिस्ट्रार सिविल कोर्ट बालाघाट संपादित करेंगे तथा उनकी अनुपस्थिति में उसी क्रम में वरिष्ठ व्यवहार न्यायाधीश हस्ताक्षर करने के लिये अधिकृत होंगे।
9. तहसील बैहर में प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खंड बैहर के अवकाश पर रहने अथवा अन्यथा उपस्थित न रहने पर समस्त प्रकार का औपचारिक एवं उक्त न्यायालय के सिविल प्रकरणों के साधारण प्रकृति के कार्य (गुण दोष के आधार पर निराकरण को छोड़कर) व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड, बैहर संपादित करेंगे।
10. जिला रजिस्ट्रार बालाघाट के अवकाश पर रहने अथवा अनुपस्थित रहने पर तथा पद रिक्त होने पर जिला रजिस्ट्रार बालाघाट का समस्त कार्य "अष्टम" व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड, बालाघाट तथा इनकी अनुपस्थिति में मुख्यालय पर उपस्थित वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी द्वारा संपादित किया जावेगा।

11. यह अत्यावश्यक सुनवाई से संबंधित कार्य व्यवस्था का आदेश ग्रीष्मकालीन व शीतकालीन अवकाश अवधि में भी अग्रिम आदेश पर्यन्त प्रभावशील रहेगा।

हस्ताक्षर
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
बालाघाट

पृष्ठांकन क्रमांक ²²⁷ / एक-11-1 / 2009,

बालाघाट, दिनांक 5 फरवरी, 2026

प्रतिलिपि :-

01. निज सचिव, माननीय पोर्टफोलियो न्यायाधिपति महोदय, (जिला बालाघाट), उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर की ओर माननीय पोर्टफोलियो न्यायाधिपति महोदय के समक्ष अवलोकनार्थ प्रस्तुत किए जाने हेतु सादर प्रेषित।
02. रजिस्ट्रार जनरल, माननीय उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर,
03. रजिस्ट्रार (जिला स्थापना), माननीय उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर,
04. कलेक्टर, बालाघाट,
05. पुलिस अधीक्षक, बालाघाट
06. विशेष न्यायाधीश (एट्रोसिटिज), बालाघाट
07. प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, बालाघाट एवं विशेष न्यायाधीश, पॉक्सो अधिनियम बालाघाट
08. द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश बालाघाट
09. जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, बैहर
10. प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, वारासिवनी
11. प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, वारासिवनी के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश वारासिवनी एवं विशेष न्यायाधीश, पॉक्सो अधिनियम वारासिवनी
12. प्रथम/द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खंड, बालाघाट,
13. प्रथम/द्वितीय/तृतीय/अष्टम व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खंड, बालाघाट,
14. प्रथम/द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खंड, वारासिवनी,
15. प्रथम/द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खंड, वारासिवनी
16. प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खंड, बैहर
17. व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खंड, बैहर,
18. व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खंड, कटंगी,
19. व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खंड, लांजी,
20. प्रशासनिक अधिकारी/उप प्रशासनिक अधिकारी, बालाघाट,
21. स्टेनो, न्यायालय-माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बालाघाट,
22. प्रस्तुतकार, न्यायालय-माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बालाघाट,
23. कार्यालय मोहर्नर, व्यवहार न्यायालय, बालाघाट,
24. कम्प्यूटर अनुभाग, बालाघाट/वारासिवनी/बैहर/कटंगी/लांजी
25. अध्यक्ष, अधिवक्ता संघ, बालाघाट/वारासिवनी/बैहर/कटंगी/लांजी

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
बालाघाट